उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-13 /2015/सा-3-631/दस-2015-944/88

लखनऊ : दिनाँक : 24 जून, 2015

विज्ञप्ति

राज्य सरकार के पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं की जनपद स्तर पर सुनवाई एवं निराकरण हेतु प्रति वर्ष दिनाँक 17 दिसम्बर को एक बार पेंशनर दिवस पूरे प्रदेश में सभी जनपदों में आयोजित किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2- पेंशनर दिवस जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित किया जायेगा, जिसका समन्वयन जनपद के मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा। पेंशनर दिवस में जनपद के प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष भी प्रतिभाग करेंगे, ताकि पेंशनरों की ऐसी समस्यायें जिनका निराकरण कार्यालयाध्यक्षों द्वारा किया जाना है, की भी सुनवाई हो सके एवं उन पर समुचित कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।

3- उपर्युक्त निर्धारित पेंशनर दिवस की तिथि का व्यापक प्रचार-प्रसार निदेशक, पेंशन, निदेशक, कोषागार एवं जनपद के कोषाधिकारियों द्वारा किया जायेगा, ताकि पेंशनर दिवस प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित हो सके।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-13/2015/सा-3-631(1)/दस-2015-944/88, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in